



2026:AHC-LKO:12608-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 594/2006

उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण के माध्यम से और 4 अन्य
.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

कृष्ण कुमार पांडे और 5 अन्य एस/एस 1854/2006
... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	स्थायी परामर्शदाता
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	ए.एम. त्रिपाठी

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।
2. रिट याचिका सं. 1854 (एस/एस) 2006 में पारित हुए दिनांक 08.03.2006 के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली यह विशेष अपील लगभग 4 माह और 21 दिन के विलंब से दाखिल की गई है।



3. यह सूचित किया जाता है कि जिस रिट याचिका से यह अपील उत्पन्न हुई है, उसे ही दिनांक 29.10.2014 के आदेश से निरर्थक घोषित कर खारिज कर दिया गया था। इस अपील में विचार के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

4. तदनुसार, अपील का **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

17 फरवरी 2026

अरनिमा